समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा./तीन (06)/2019/451 दिनांक :– 21 JUN 2019

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालयँ,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 10–06–2019 के कार्य विवरण ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 10–06–2019 के कार्य विवरण की एक प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

संलग्न : यथोपरि

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक शुक्रवार दिनांक 10.6.2019 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रकाश सी बरतूनिया	सदस्य
3.	श्री मोहनलाल छीपा	सदस्य
4.	डॉ (श्रीमती) रागिनी मख्खर	सदस्य
5.	श्री आलोक डावर	सदस्य
6.	डॉ. के.एन.चतुर्वेदी (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा)	सदस्य
7.	श्री देवधर दरवाई (प्रतिनिधि वित्त विभाग म.प्र.शासन)	सदस्य
8.	डॉ. रेखा आचार्य	सदस्य
9.	डॉ. अशोक कुमार	सदस्य
10.	डॉ. ए.व्ही बजाज	सदस्य
11.	डॉ. कुसुमलता निगवाल	सदस्य
12.	डॉ. सुमित्रा वास्केल	सदस्य
13.	डॉ. एच.एल. अनिजवाल	सदस्य
14.	डॉ. संगीता जैन	सदस्य
15.	डॉ. अनिल शर्मा, कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1.	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
2.	डॉ. रवि वर्मा	सदस्य
3.	डॉ. आर.के. माथुर	सदस्य

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्य–परिषद् के नव–नियुक्त सदस्य डॉ. संगीता जैन का स्वागत डॉ (श्रीमती) रागिनी मख्खर द्वारा एवं कार्य परिषद् के सचिव एवं कुलसचिव डॉ. अनिल शर्मा का स्वागत श्री आलोक डावर द्वारा पुष्प–गुच्छ से किया गया। माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा अवगत कराया गया कि स्नातक स्तर के 6th सेमिस्टर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं एवं स्नातकोत्तर स्तर के 4th सेमिस्टर के जून तक कर दिए जाएंगे।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क्र.:1: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 01.3.2019 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 01.3.2019 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि. 01.3.2019 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:2: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 01.3.2019 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन बाबत्।

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 01.3.2019 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:3: वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.06.2019 के कार्य–विवरण पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.06.2019 के कार्य–विवरणों का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.06.2019 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग)

विषय क्र.:4: विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठकों दिनांक 14.3.2019, 28.3.2019, 22.4.2019, 30.4.2019, 8.5.2019, 17.5.2019, 28.5.2019 एवं 29.5.2019 के कार्य–विवरणों पर विचार।

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठकों दि.14.3.2019, 28.3.2019, 22.4.2019, 30.4.2019, 8.5.2019, 17.5.2019, 28.5.2019 एवं 29.5.2019 के कार्य–विवरणों का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठकों दि.14.3.2019, 28.3.2019, 22.4.2019, 30.4.2019, 8.5.2019, 17.5.2019, 28.5.2019 एवं 29.5.2019 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:5: स्वर्गीय प्रमोद कुमार जैन के परिवार पेंशन प्रकरण का निराकरण हेतु द्वितीय सेवा–पुस्तिका की अंकेक्षित छायाप्रति का अनुमोदन करने विषयक।

निर्णय लिया कि स्वर्गीय प्रमोद कुमार जैन के परिवार पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु द्वितीय सेवा–पुस्तिका की अंकेक्षित छायाप्रति का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:6: श्री राजेश वर्मा, व्याख्याता, आय.आय.पी.एस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के अवकाश की स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि श्री राजेश वर्मा, व्याख्याता, आय.आय.पी.एस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को दिनांक 20.2.2018 से 22.5.2018 तक 92 दिवस का निम्नानुसार अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

32 दिवस लघुकृत अवकाश – 20.2.2018 से 23.3.2018 तक
20 दिवस अदेय अवकाश – 24.3.2018 से 12.4.2018 तक
31 दिवस अर्जित अवकाश – 13.4.2018 से 13.5.2018 तक
09 दिवस अवैतनिक अवकाश–14.5.2018 से 22.5.2018 तक

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:7: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र ऑडिटोरियम को संस्था सानंद न्यास द्वारा पुनः वर्ष 2019–20 में 36 दिवस आरक्षित करने बाबत्।

निर्णय लिया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र ऑडिटोरियम को संस्था सानंद न्यास द्वारा वर्ष 2019–20 में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर राशि रू.7,66,770/– (सभी कर सहित) में 36 दिवस के लिए आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः विवि सांस्कृतिक केन्द्र)

विषय क्र.:8: माह दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 की सेमेस्टर परीक्षा के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि माह दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 की सेमेस्टर परीक्षा के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णयों की सूचना ग्रहण की गई एवं उसका अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:9: सत्र 2019 की सेमेस्टर/ मुख्य/पूरक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र–छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति के गठन पर विचार।

निर्णय लिया कि सत्र 2019 की सेमेस्टर/मुख्य/पूरक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र–छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु रिक्त पद हेतु निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन किया गया :

1. **One Teacher who is a member of the Executive Council :**
   डॉ. कुसुमलता निगवाल, महारानी लक्ष्मीबाई शास.कन्या स्नातकोत्तर महा.इन्दौर
2. **One Teacher who is a member of the Academic Council :**
   डॉ. मंजू शर्मा, माता जीजाबाई,शास.कन्या स्नातकोत्तर महा.,इन्दौर
3. **One Senior Principal of Govt. College :**
   डॉ. एच.एल. अनिजवाल, शासकीय स्नातकोत्तर महा. झाबुआ।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:10: विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 96वीं बैठक दिनांक 23.2.2019 के कार्यवाही विवरण गाह्य करने बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 96वीं बैठक दिनांक 23.2.2019 के कार्यवाही विवरण गाह्य किए गए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:11: चमेलीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन विषयक।

निर्णय लिया कि चमेलीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक दि. 24.5.2018 में अनुशंसित डॉ. सुहास धाण्डे की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:12: मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज, खंडवा मे प्रचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन विषयक।

निर्णय लिया कि मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज, खंडवा में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक दि. 24.12.2018 में अनुशंसित डॉ. निशा केवलिया की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:13: राज्य शासन के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2009 छठा वेतनमान में दिनांक 1.7.2018 से 06 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 02 प्रतिशत की दर से वृद्धित महंगाई भत्ते के भुगतान की मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अंतर्गत दी गई स्वीकृति की सूचना एवं अनुमोदन बाबत्।

निर्णय लिया कि म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ.4–2/ 2018/ नियम/ चार दिनांक 16 मई 2018 के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2009 छठा वेतनमान में दिनांक 1.7.2018 से 06 प्रतिशत की दर से वृद्धित महंगाई भत्ता एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2017 सातवां वेतनमान में 02 प्रतिशत की दर से वृद्धित महंगाई भत्ता दिए जाने की कुलपतिजी द्वारा म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण की गई एवं उसका अनुमोदन किया गया। तद्नुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों/ अधिकारियों, नियमित एवं स्थायीकर्मी कर्मचारियों को दि.1.7.2018 से छठवें वेतनमान में 6 प्रतिशत की वृद्धित दर कुल 148 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत वृद्धित दर कुल 9 प्रतिशत से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:14: श्री अवतार सिंह, व्याख्याता, शिक्षा अध्ययनशाला के दिनांक 1.7.2019 से दिनांक 31.12.2019 तक 06 माह के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि श्री अवतार सिंह, व्याख्याता, शिक्षा अध्ययनशाला को दिनांक 1.7.2019 से दिनांक 31.12.2019 तक 06 माह के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:15: डॉ. आर.के. शुक्ला, प्रोफेसर के प्रतिनियुक्ति पर कार्य–ग्रहण की सूचना विषयक।

निर्णय लिया कि डॉ. आर.के. शुक्ला, पी.एस.एस.सी.आई.व्ही.ई. के कार्यमुक्ति आदेश पश्चात् प्रोफेसर वाणिज्य के पद पर एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्य–ग्रहण की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:16: <u>तक्षशिला परिसर स्थित इंडियन कॉफी हाउस के किराया निर्धारण बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि तक्षशिला परिसर स्थित इंडियन कॉफी हाउस के वर्तमान किराया रू.31,360/– प्रतिमाह में 12 प्रतिशत की वृद्धि कर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लिया जाकर तीन वर्ष के लिए किराया निर्धारित किया गया।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय</u>

विषय क्र.:17: <u>विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.4.2019 एवं 4.6.2019 के कार्य विवरणों पर विचार।</u>

निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठकों दि.11.4.2019 एवं 4.6.2019 के कार्य–विवरणों का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठकों दि.11.4.2019 एवं 4.6.2019 की अनुशंसाएं मान्य की गईं।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:18: <u>कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका संशोधित अध्यादेश 4 बी के अनुसार इलेक्टॉनिक्स अध्ययनशाला के नियमित शिक्षकों को स्टेज–3 में पदोन्नति दिए जाने हेतु दि. 1.6.2019 को आयोजित **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसा पर विचार बाबत्।</u>

अवगत कराया गया कि कॅरियर एडवान्समेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका के अनुसार (संशोधित अध्यादेश 4–बी) इलेक्टॉनिक्स अध्ययनशाला (नियमित) के शिक्षकों को व्याख्याता (स्टेज–2) से (स्टेज–3) के पद पर पदोन्नति हेतु गठित **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसाओं के सील्ड लिफाफे कार्य–परिषद् के समक्ष खोले गए। **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसाओं का वाचन किया गया तथा उसे कार्य–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गई है :

<u>School of Electronics</u> :

Resolved that it be recommended to the Executive Council that the following be promoted as Lecturer (Stage-3) in the School of Electronics, DAVV in the PB (Rs.15600-39100) with AGP RS.8,000/-, from the date of eligibility Under Career Advancement Scheme on the salary as per rules :
1-Dr. Manju K. ChatopadhyayLecturer (Stage-2), School of Electronics
2-Ms Kirti Panwar Bhati,Lecturer (Stage-2), School of Electronics

Following Candidate was found Not Eligible for promotion as Lecturer (Stage-3) in the School of Electronics, DAVV under Career Advancement Scheme :

1. **Ms Pratibha M. Umale**

सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चयन समिति की उक्त अनुशंसाओं को मान्य किया जाए तथा तद्नुसार चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ. मंजू के. चट्टोपाध्याय एवं श्रीमती कीर्ति पंवार भाटी को व्याख्याता (स्टेज–2) से (स्टेज–3), इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला के पद पर पदोन्नति पात्रता तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:19: <u>पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने बाबत माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ।</u>

निर्णय लिया कि शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा संतोषजनक होने एवं परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किए जाने की अनुशंसानुसार शोधार्थियों को संबंधित विषय एवं संकाय में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:20: <u>श्रीमती निलिमा करंकार, व्याख्याता, आई.ई.टी. के संतान पालन आवकाश की स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि श्रीमती निलिमा करंकार, व्याख्याता, आई.ई.टी. को दिनांक 17.6.2019 से दिनांक 30.4.2020 तक (कुल 286 दिन) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:21: <u>श्रीमती कीर्ति पंवार भाटी, व्याख्याता, इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला के द्वारा दिनांक 19.6.2019 से दिनांक 18.5.2020 तक 11 माह पीएच.डी. करने हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि श्रीमती कीर्ति पंवार भाटी, व्याख्याता, इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला को दिनांक 19.6.2019 से 06 माह के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:22: <u>भंवरकुंआ चौराहा पर लेफ्ट टर्नो को विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय तक्षशिला परिसर में भूमि उपलब्ध कराने बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि आयुक्त, नगर–निगम एवं एस.एस.पी. कार्यालय से प्रकरण के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र.:23: <u>डॉ. निरूपमा नागर के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रकरण में स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि प्रकरण विस्तृत विवरण के साथ कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:24: विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में सार्क/बिम्सटेक/NRI/PIO छात्रों की फीस निर्धारण बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में सचालित पाठ्यक्रमों में सार्क/बिम्सटेक/NRI/PIO छात्रों की फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया गया :

(अ) भारतीय छात्रों के लिए : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस

(ब) सार्क/बिम्सटेक/NRI/PIO छात्रों के लिए : विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय छात्रों के लिए निर्धारित फीस से 50 प्रतिशत या रू.20000 प्रति सेमेस्टर जो भी कम हो अधिक फीस

(स) अन्य देशों के विदेशी छात्रों के लिए : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति वर्ष देय फीस USD 3500

(अ) वर्ग के छात्रों के लिए कॉशनमनी – रू. 4000 (रिफंडेबल), Alumni Fees Rs.500

(ब) वर्ग के छात्रों के लिए कॉशनमनी – रू. 10000 (रिफंडेबल), Alumni Fees Rs.1000

(स) वर्ग के छात्रों के लिए कॉशनमनी–USD 500 (रिफंडेबल),Alumni Fees USD 100

(कार्यवाही: समस्त अध्ययनशालाएं)

विषय क्र.:25: डॉ. अजीत सिंह सेहरावत, तत्कालीन कुलपति के कार्यकाल में वर्ष 2009 में नियुक्त फार्मेसी अध्ययनशाला के शिक्षकों द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि एवं सेवा संबंधी लाभ दिए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायक याचिका के निर्णय के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ ने R.P. 56/2019 में दिनांक 24.1.2019 के अनुसार भुगतान की मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अंतर्गत दी गई स्वीकृति की सूचना एवं अनुमोदन बाबत्।

निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ द्वारा फार्मेसी अध्ययनशाला के संबंधित शिक्षकों को वेतनवृद्धि एवं सेवा संबधी लाभ प्रदान किए जाने तथा अवमानना याचिका दायर किए जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए आदेश का शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–15 (4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भुगतान किए जाने की स्वीकृति की सूचना ग्रहण की गई एवं उसका अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:26: देवी अहिल्या कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर में पूर्व में कार्यरत डॉ. शिखा त्रिवेदी, प्रभारी प्राचार्य के न्यायालयीन प्रकरण में वस्तुस्थिति विषयक।

निर्णय लिया कि प्रकरण कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:27: डॉ. शिखा त्रिवेदी, पूर्व प्रभारी प्राचार्य के प्रकरण में श्री वीर कुमार जैन, महाविधवक्ता, इन्दौर से प्राप्त विधिक राय के देयक का भुगतान विषयक।

निर्णय लिया कि प्रकरण कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:28: <u>विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के शपथ विधि समारोह में संघ पदाधिकारियों को ब्लेजर उपलबध करवाने विषयक।</u>

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के शपथ विधि समारोह में संघ पदाधिकारियों को ब्लेजर उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव अगान्य किया गया।

(कार्यवाही: विद्यार्थी कल्याण विभाग)

विषय क्र.:29: <u>डॉ. शाईन डेविड, व्याख्याता, आय.एम.एस. नियमित कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदोन्नति हेतु पूर्व की सेवा जोड़ने के संबंध में गठित सूक्ष्म जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मान्य किए जाने के संबंध में।</u>

निर्णय लिया गया कि प्रकरण विस्तृत रिपोर्ट के साथ कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:30: <u>कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका संशोधित अध्यादेश 4 बी के अनुसार डाटा सांइस एंड फोरकॉस्टिंग अध्ययनशाला के नियमित शिक्षक को स्टेज–3 में पदोन्नति दिए जाने हेतु दिनांक 7.6.2019 को आयोजित **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसा पर विचार बाबत्।</u>

अवगत कराया गया कि कॅरियर एडवान्समेंट योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. की नवीन मार्गदर्शिका के अनुसार (संशोधित अध्यादेश 4–बी) डाटा सांइस एंड फोरकॉस्टिंग अध्ययनशाला (नियमित) के शिक्षक को व्याख्याता (स्टेज–2) से (स्टेज–3) के पद पर पदोन्नति हेतु गठित **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसाओं के सील्ड लिफाफे कार्य–परिषद् के समक्ष खोले गए। **Screening cum Evaluation Committee** की अनुशंसाओं का वाचन किया गया तथा उसे कार्य–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गई है :

<u>School of Data Science & Forecoasting</u> :

Resolved that it be recommended to the Executive Council that the following be promoted as Lecturer (Stage-3) in the School of Data Science & Forecoasting DAVV in the PB (Rs.15600-39100) with AGP RS.8,000/-, from the date of eligibility Under Career Advancement Scheme on the salary as per rules :

1- Mr. Vandit Hedau,
Lecturer(Stage-2), School of Data Science & Forcoasting

सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चयन समिति की उक्त अनुशंसाओं को मान्य किया जाए तथा तद्नुसार चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री वंदित हेडड को व्याख्याता (स्टेज–2) से (स्टेज–3), डाटा साइंस एंड फोरकॉस्टिंग अध्ययनशाला के पद पर पदोन्नति पात्रता तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:31: स्ववित्त योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी नियमित महिला कर्मचारी श्रीमती छाया वर्मा को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार संतान पालन अवकाश प्रदाय करने हेतु स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि स्ववित्त योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी नियमित महिला कर्मचारी श्रीमती छाया वर्मा को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15.7.2019 से दिनांक 14.7.2020 तक (कुल 386 दिन) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:32: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में निर्मित एवं अनिर्मित स्थानों की साफ–सफाई बाबत्।

अवगत कराया गया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में निर्मित एवं अनिर्मित स्थानों की साफ–सफाई कार्य हेतु ऑन लाईन टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से कार्य आवंटन सिक्यूरिटी ब्यूरो ऑफ इंडिया, इन्दौर को दिनांक 16.4.2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किया गया था। अनुबंध की अवधि 15.4.2019 को समाप्त हो चुकी है। लोकसभा निर्वाचन 2019 में आचार संहिता के कारण टेण्डर प्रक्रिया नहीं हो पाई। चूंकि कम्पनी के कार्य की गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, अतः आगामी कार्य हेतु पुनः टेण्डर आमंत्रित किए जाना हैं टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसी सस्था से कार्य कराया जाए अथवा गत वर्ष की स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर किसी अन्य एजेन्सी से कार्य करने की सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया कि आगामी कार्य हेतु पुनः टेण्डर आमंत्रित किए जाएं तथा टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसी सस्था से पूर्व में स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर कार्य कराया जाए।

(कार्यवाहीः भंडार विभाग)

विषय क्र.:33: विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की दिनांक 7.6.2019 को सम्पन्न बैठक के कार्य विवरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की दिनांक 7.6.2019 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं को मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः विकास विभाग)

विषय क्र.34: श्री आलोक डावर, कार्य परिषद् सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार :

(अ) बी.एड. द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम के संबंध में।

निर्णय लिया कि संबंधित अध्यादेश में निहित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा समिति द्वारा बी.एड. द्वितीय सेमेस्टर की जांच परीक्षा परिणाम समिति द्वारा की जाएगी। परीक्षा परिणाम समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन 15 दिन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

ब. मूल्यांकन केन्द्र में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के कार्यकाल के संबंध में ।

विस्तृत जानकारी कुलपति महोदय द्वारा दी गई।

(कार्यवाहीः केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र / गोपनीय विभाग)

स. सीईटी की परीक्षा के संबंध में जिस एजेन्सी का चयन किया गया है, वह विशेष अधिकार 15 (4) के अंतर्गत किया है।

विस्तृत जानकारी कुलपति महोदय द्वारा दी गई, जिसे कार्य–परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया।

(कार्यवाहीः समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा)

विषय क्र.35: स्ववित्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियमित नियुक्ति/नियमितिकरण व वेतनवृद्धि एवं अन्य सुविधाओं के संदर्भ में निर्णय लिया कि पूर्व में स्ववित्त कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जाकर नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा चुकी है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.36: कॉलेज कोड–28 के अंतर्गत महाविद्यालयों में प्राचार्य पद की नियुक्ति के संबंध में।

निर्णय लिया कि कॉलेज कोड–28 के अंतर्गत महाविद्यालयों में प्राचार्य पद की नियुक्ति हेतु कम–से–कम तीन प्रतिस्पर्धी होना आवश्यक है, इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.37: कार्य–परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा बैठक आयोजित करने विषयक।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 1.3.2018 से दिनांक 10.6.2019 तक लिए गए निर्णयों की समीक्षा बैठक दिनांक 2 जुलाई 2019 को कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्य–सूची में उक्त बैठकों के निर्णयों की समीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.38: कार्य–परिषद् की बैठक की कार्य सूची विषयक।

निर्णय लिया कि बैठक के निर्धारित समय पूर्व मुख्य कार्य सूची प्राप्त होने पर उस पर चर्चा की जाएगी। बैठक के समय प्राप्त होने वाली पूरक कार्य सूची/विषय पर अति आवश्यक हो, तो चर्चा की जाएगी, अन्यथा बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.39: स्व–वित्त संस्थानों में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया में शेष रहे कर्मचारियों के प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया कि आगामी दो माह में प्रकरण के संबंध में नियमों के अंतर्गत पात्रता का परीक्षण कर कार्यवाही की जाए एवं की गई कार्यवाही से कार्य–परिषद् को अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.40: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाने के संबंध में निर्णय लिया कि समिति 30 दिन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे एवं उसे कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही: यांत्रिकी विभाग)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्र गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–
(डॉ. अनिल शर्मा)
कुलसचिव/ सचिव

हस्ता/–
(डॉ. एन.के. धाकड़)
कुलपति/ अध्यक्ष